


30/5/23 फ़ावली पैरा हुई। वादी एवं वादी
वकील अनुपस्थित। मूल वाद अदम हाजरी-अदम
पैरवी में खारिज किया गया है। अतः प्राथमिक फ़ा
212 R.T.A. भी अदम हाजरी-अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। फ़ावली पैरा नम्बर-200
ही कर नम्बर से कम है। बाद में वाकिफ़
नम्बर है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.